



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar (Raj.)
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर (राज.)-332301
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Prof. H.P. Singh
Zonal Director Research

9414773798

zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ()लेखा / आरएस / एफटीआर / 2024 / 543-47 दिनांक : 25/09/2024

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी के फार्म पर रबी 2024-25 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 50-60 हैंकटेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 04.10.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक आमत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 500/- रुपये केशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रुपये 500/- का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा छूटने के बाद 50000/- अमानत राशि कार्यालय में चैक/डी.डी./नगद के द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 04.10.2024 को दोपहर बाद 3.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जाएगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं UBN No. कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथी दिनांक 04.10.2024 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करायें।
 2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथी दिनांक 04.10.2024 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करायें।
 3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
 4. संयोजक / सदस्य, निविदा समिति/कैशियर/फार्म इंचाज/लेखा शाखा कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी।
 5. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

२०१३ की विनियोग सेवा अनुसंधान
SKS एवं उत्तर भारत विश्वविद्यालय
अप्रैल २०१३ का राजस्थान विनियोग



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar (Raj.)
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर (राज.)-332301
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Prof. H.P. Singh
Zonal Director Research

9414773798

zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ()लेखा / एआरएस / एफटीआर / 2024 / ५४३ - ५७ दिनांक : २५/११/२०२४

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा राशना

1. कार्य का नाम	: फसलों की हिस्सा आधारित खेती
2. बजट मद	: Revolving found
3. कार्य की अनुमानित अवधि	: कृषि मौसम रबी 2024-25
4. निविदा फार्म शुल्क	: 500/- रुपये बैंक ड्राप्ट / नगद
5. धरोहर राशि	: 50000 रुपये बैंक ड्राप्ट / चैक अथवा नगद
6. कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल	: 50-60 हैक्टर
7. निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	: 04.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक
8. निविदा जमा में जमा कराने की दिनांक व समय	: 04.10.2024 को प्रातः 12.00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	: 04.10.2024 को सांय 3.00 बजे
10. निविदा खोलने का स्थान	: कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी,
11. निविदा संदर्भ	: निविदा प्रपत्र हिस्सा आधारित खेती (रबी 2024-25)
12. निविदा प्रपत्र	: सलंगन (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्ते।
13. निविदा की शर्ते	: संलग्न
14. पत्र व्यवहार हेतु पता	: क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर- 332301

निविदा की शर्ते :-

- प्रस्तावित निविदा पत्र क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
- दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
- यह हिस्सा आधारित खेती केवल कृषि सीजन रबी, 2024-25 के लिए ही मान्य होगी।
- केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 50-60 हैक्टर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना है, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के आधार पर व अन्य फसलों का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी / केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार करने होंगे।

ZONAL DIRECTOR (RES.)
SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
AGRICULTURAL RESEARCH STATION
FATEHPUR-SHEKHAWATI (SIKAR).

5. हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई-गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप में करवाई जा सकती है।
6. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होंगे। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होंगे।
7. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई-गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होंगे।
8. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
9. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र द्वारा करवायें जायेंगे तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
10. निविदादाता को फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणों, ओजारो, सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे, बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने पर जितनी ही संख्या में समस्त देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्त होने पर जितनी ही संख्या में प्राप्त किये थे वापस लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर या सामान कम लौटाने पर सामान की कीमत कार्यालय में जमा करनी होगी।
11. प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप्रत्यक्ष देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के उपरांत वर्षपर्यन्त दिन-रात फसल खेत में से उठने तक प्रक्षेत्र पर मौजूद संपूर्ण संपत्ति यथा प्रक्षेत्र बांउड़ी, पेड़-पौधे, ट्यबू-वैल, प्रक्षेत्र पर मौजूद सभी फसलें आदि की चौकीदारी एवं फसलों की नीलगाय व अन्य जानवरों से सुरक्षा का कार्य करना होगा।
13. निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र प्रक्षेत्र पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देंगे एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. बीज उत्पादन हेतु समस्त शाष्य कियाये फार्म मेनेजर/प्रभारी/केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिकों व ओजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
15. फार्म की चौकीदारी, पशु-पक्षियों से रखवाली, फसलों के आस-पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
16. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नभी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा एवं अधिक कवरा एवं नभी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णय अनुसार वजन काटा जायेगा।


 DIRECTOR (RES.)
 SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
 AGRICULTURAL RESEARCH STATION
 FAUJI, JHARKHAND-812 301

17. व्यवसायीक उत्पादन में हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
18. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम में रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख में करवाना होगा।
19. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
20. किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
21. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि नजदीकी सरकारी मण्डी, कृषि उपज मण्डी, फतेहपुर-शेखावाटी, के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के औसत मण्डी भाव के आधार पर जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जावेगा।
22. हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा। केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को काई आपत्ति नहीं होगी।
23. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होंगे।
24. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा तथा यह निविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम निविदा है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
25. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
26. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
27. निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इकठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कठी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार संबंधित अधिकारी को होगा।
28. फसल को थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को गोदाम में लाकर समान वजन की बोंसियों में भरना होगा एवं व्यवस्थित तरीके से धांग लगानी होगी। बोरिया केन्द्र उपलब्ध करायेगा। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो संबंधित अधिकारी द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
29. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए केन्द्र/फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढ़ाई जा सकती है।
30. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरनेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनरे के आर्बिटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।


 ZONAL DIRECTOR (PES.)
 SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
 AGRICULTURAL RESEARCH STATION
 FATEHPUR-SHEKHAWATI (RAJASTHAN)

31. किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
32. सफल निविदादाता को समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, ऐसा लिखकर रूपये 500/- के नान ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
33. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
34. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा / बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।



श्रीनगर निषेध संस्थान
SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
AGRICULTURAL RESEARCH STATION
SATECHPUR-SHEKHAWATI (SIWAR)

कोन्स्ट्रैक्टर/निविदादाता के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :—

पता:—

मो० न०:—



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar (Raj.)
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर (राज.)-332301
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :
.....
- 2- धरोहर राशि रूपये 50,000/- का विवरण: डी.डी./चैक/रशीद सं दिनांक:
3. निविदादाता का पैन नं: (स्व अभिप्राप्ति छाया प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता की आधार संख्या: (स्व अभिप्राप्ति छाया प्रति संलग्न करें)
5. निविदादाता को शर्तों पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर मय सील करने है।
6. सफल निविदादाता को रूपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय मे जमा करना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अर्थीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
8. कृषि उपज मण्डी फतेहपुर-शेखावाटी के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जावेगा।
9. निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा की जावेगी।
10. धरोहर राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

REGIONAL DIRECTOR (RES.)
SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
AGRICULTURAL RESEARCH STATION
FATEHPUR SHIKHAWATI (SRI.)



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar (Raj.)
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर (राज.)-332301
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती के कार्य को सम्पादन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

मैं/हम नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहे हैं :—

क्र.सं.	मौसम	बोई जाने वाली फसल का नाम	हिस्सा आधारित खेती के उत्पादन में ठेकेदार/ निविदादाता द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत) (अंकों व शब्दों दोनों में)
1	रबी, 2024–25	गेहूँ, जौ, मेथी, चना, सरसों व अन्य फराले (जैसे तारामीरा, दाना मटर आदि)	

ठेकेदार/ कोन्ट्रैक्टर/ निविदादाता
के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :—

पता :—

मो० न० :—

[Signature]
ZONAL DIRECTOR (RES.)
SKN AGRICULTURE UNIVERSITY
AGRICULTURAL RESEARCH STATION
FATEHPUR-SHEKHAWATI (Raj.)